महिला सशक्तिकरण एंव सतत् विकास

प्रो. कैलाश सोलंकी, सहायक प्राध्यापक
(समाजशास्त्र), शासकीय आदर्श महाविद्यालय हरदा जिला हरदा

किसी भी देश का समग्र विकास महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा है। राष्ट व प्रणेता स्वा मी विवेकानन्द ने विकास प्रक्रिया मे महिलाओं को भूमिका स्वीकार करते हुए उचित ही कहा था कि जिस प्रकार एक पंख से चिडिया उडान नही भर सकती है उसी प्रकार महिलाओं के बिना किसी भी अंग में महिलाआ कि सहभागीता के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। महिला सशक्तिकरण के अंर्तगत महिलाओं से जुडे सामाजिक, आथिक, राजनैतिक और कानूनी मुददो पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है, सशक्तिकरण की प्रकिया मे समाज को परम्परित पितृसत्ताओत्मसक दृष्टीकोण के प्रति जागरूक किया जाता है जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है।

वैश्विक स्तदर पर नारीवादी आन्दोलना और अन्त राष्ट्रीय संस्थाजओं में महिलाओं के सामाजिक समता, स्वातंत्रता और न्यादय के राजनितिक अधिकारों को प्राप्ता करने मे महत्वंपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आघ्यामिक शारीरिक या मानसिक सभी स्तिर पर महिलाओं मे आत्मविश्वास पैदा कर उन्हे सशक्त बनाने की प्रकिया है। 'सशक्तिकरण' का तात्पर्य है 'शक्तिशाली' बनाना। सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक एंव राजनीतिक असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं एंव नित्ताओं से निपटने के रूप मे देखा जा सकता है। इसमें जागरूकता, अधिकार एंव हकों को जानने, सहभागिता, निर्णयन जैसे घटको को लिया जाता है।

पैलिनीयूराई के शब्दों मे ''महिला सशक्तिकरण वह प्रकिया है जिसके कारण समाज के विकास की प्रकिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के बराबर मान्यजता दी जाती है।'' डॉ.बी.आर अम्बेडकर का कथोन है कि ''भारतोय नारी श्रम से नहीं घबराती किन्तु आसुओं की चिन्ताा करते हुए वह रोटी, असमान व्यावहार, शोषण से अवश्य डरती है इसमें बाबा साहेब ने महिलाओं की वास्तविक वेदना को मुखरित किया है महिला सशक्तिकरण की आवश्य कता बहु आयामी है यह कोई पुरूष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है और इसके लिए पुरूषो भी आना होगा। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है यह महिलाओं के सर्वोगीण विकास के लिए प्रथम एंव मूलभूत साधन है।

क्यों कि महिलाओं के शिक्षित होने पर जागरूकता, चेतना आयेगी। अधिकारों की सजगता होगी, रूढियॉ, कुरीतियॉ, कुप्रथाओं का अन्धेरा छुटेगा और वैचारिक क्रान्ति से प्रकाश पुंज फूट निकलेगा। शिक्षा के माध्यंम से महिलाएं समाज में सशक्तर, समान एंव महत्व पूण भूमिका दर्ज करा सकती है, इसके साथ ही अपनी आर्थिक व राजनितिक भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकती है जिसमें राष्ट्रीय व अन्तवराष्ट्री य स्तचर की महिलाओं से जुडी योजनाएं महत्वापूर्ण है।

महिला सशक्तिकरण के सामाजिक विकास के कारक– महिला सशक्तिकरण के सामाजिक विकास के निन्मण कारक प्रमुख रूप है–

1) भारत में महिलाओं की गिरी हुई दशा सुधारने का प्रयास 19वी शताब्दी से प्रांरभ होता है। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उनेक समाज सूधारक जैसे– राजा राममोहन राय (1774–1833), ईश्वर चन्द् विद्यासागर (1820–1871), स्वा)मी दयानन्दव सरस्व ती (1827–1833), केशव चन्द्रद सेन (1838–1884), स्वा(ती विवेकान्द7 (1868–1902), महात्मा् गांधी (869–1948), आदि महापुरूषों ने क्रांतिकारी विचारो से भारतीय महिलाओं की स्थिति में सधार एवं उत्थोन के लिए जागरूक, महत्व पूर्ण योगदान एवं संघर्ष किया है।

इन समाज सुधारको के द्वारा ब्रहा समाज, सती प्रथा, निरोधक अधिनियम, बाल विवाह समाप्त, विधवा–पुनविवाह ,पर्दा प्रथा रोकथाम, स्त्रीन शिक्षा, विशेष विवाह अधिनियम, अन्त्जतिय विवाह आदि का

महत्वयपूर्ण कार्य किये गये। इस 19 वीं शताब्दी में कई महिलाओं एवं स्त्री संगठनों के द्वारा महिला अधिकार दिलाने एवं जागृति लाने के लिए रमाबाई रानाडे, मेडम कामा, तारेदत ,मारग्रेट नोवल तथा ऐनी बेसेण्ट् आदि महिलाओं तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेालन 'भारतीय महिला समिति' विश्वविद्याय महिला संघ अखिल भरतीय स्त्री शिक्षा संस्थाज कस्तुभरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट' आदि महिला संगठनों के द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न किये गये है।

20वीं शताब्दीव में महत्वतपूर्ण स्वय सेवी संगठनों ने गूजरात नाही महामण्डल (1908) व 'भागिनी समाज' (1908) आदि महिला संगठनों के द्वारा समाज मे महिलाओ को उचित स्थान दिलाने के हल सतत संघर्ष किया। श्रीमति सरोज नलिकी दत ने जिलों नगरो व ग्रामों में 'महिला समितियों का गठन किया। सरोजिली नायडू के नेतृव मे भारत सचिव मिस्टंर मांटेगयू को ज्ञापन देकर महिलाओं के लिए महत्वनपूर्ण कार्य किये गया है।

महिलाओं के संवाधानिक व्यवस्थाएं– भारत में महिला सशक्तिकरण में समय–समय पर अनेक अधिनियम के द्वारा स्त्रियो की दशा सुधारने के 1955 के हिन्दुध विवाह अधिनियम, बाल–विवाह अधिनियम बाल–विवाह समाप्तन, विवाह–विचछेद, 1956 हिन्दु उत्तदराधिकार अधिनियम, स्त्रियो और कन्यापओं का अनैतिक व्याहपार निरोधक अधिनियम, दहेज निरोध्कद अधिनियम, 1961 आदि ने महिलाओं की स्थिति सशक्तन करने में महत्वनपूर्ण योगदान है।

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारो भारतीय संविधान में निम्न लिखित सुरक्षा प्रदान करता है–

- स्थाकन, जन्मस, लिंग, जाति, रंग, लिंग, धर्म या इसमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के प्रति भेदभाव नही करती। अनु.15(1)
- कानून के समक्ष महिलाओ की समानता (अनु.14)
- महिलाओ और बच्चो् के लिए विशेष उपबंध अनु.15(1)
- भारतीया महिलाओ को स्वितनत्रता का अधिकार (अनु.19)
- महिलाओ के खिलाप होने वाले शोषण को स्त्री की गरीमा को अचित नही मानते हूए महिला खरीद–बिक्री, वेश्यानवृति के लिए जबरदस्तीम, भीख मगवाना आदि दणडनीय अपराध है। (अनु.23–24)
- सरकार ने पुरूष और महिलाओ के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्तब साधन उपलब्धक कराने, पुरूषो और महिलाओ के कमान कार्य के लिए समान वेतन की नीति। अनु.39(घ)
- भारत के सभी लोगो के बीच भाई– चारे की भावना एवं महिलाओ की प्रतिष्ठाी के लिए अपमान जनक प्रथाओ का परित्या ग करना।(अनु.51(क)(ड))
- पंचायत चूनाव में ST,SC महिलाओं के लिए 1.3 आरक्षण व्यनवस्थाग। अनु.243(घ).3,4,
- नगर निगम में प्रस्तौव चुनाव से भरी जाने वाली सीटो मे 1.3 सीटे महिलाओ के लिए आरक्षित। अनु. 243(न)(3),(4)
- महिला एवं पूरूष को निर्वाचकनामावली में दोनो को समान रूप से मतदान का अधिकार है। (अनु.325)

शिक्षा का प्रसार– महिलाओ में शिक्षा का प्रयार होने से परम्प रागत बन्धहनों, रूढ़ीवाहदता व धर्मान्धाता से मुक्त होकर सामाजिक कुरूतियों को त्यापगा, और तर्क विवेक जागा और ज्ञान के द्वारा खुले। शिक्षा मे महिलाओ को अपने अधिकारो के प्रति जागरूक बनाकर महिला सशक्तिकरण का मुख्या कारक रहा है।

भारतीय संस्कृति का प्रभाव– भरत के लोग पश्चिमी सभ्ता व संस्कृति के समपर्क में उानेसक स्त्री पुरूषों की समानता, स्व तन्त्रसता तथा सामाजिक न्याययय मूल्योंर विचारो और विश्वसो आदि का जागरूक

कर अपनानें लगें। उन्हीत स्वसतन्त्रपता, समानता, न्यामय और अपने अधिकारो की मांग के कारण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सूविधाएं एवं अधिकार प्राप्तथ हुए।

औद्योगीकरण एवं नगरीकरण– औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण स्त्रियों की पुरूषो पर आर्थिक निर्भरता कम हुई, वे स्वयं कारखाने में काम करने लगी, उसमें आत्मय विश्वा स जागने एवं आत्मि–निर्भरता आने से पुरूष की दासता व निर्भरता समाप्तग हुई। नगरो में व्याकितगत स्व तन्त्रहता होने के कारण प्रेम विवाह, अन्तजतीय विवाह विवाह तथा विधवा– पुनर्विवाह होने लगे। नगरो में महिलाओ का शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर होने एवं नगरीकरण की महत्वनपुर्ण योगदान रहा है।

इन सभी कारको के अलावा संयूक्त परिवार कीजगह एकाकी परिवार से महिलाओं के लिए अचछा भोजन, मकान व अन्य् सुविधाए एवं स्त्रियो की स्वतन्त्रता, सम्माान एवं गतिशीलता में वृद्धि हुई। महिला राष्ट्रीरय समिति, परिवार जीवन संस्थाव, महिलाओं के लिए अल्पालवधि आवास ग्रह, लाभकारी योजनाओ का संचालन, सहिला विकास निगम, नाहीवादी विधि, पारिस्थितिवाद नारीवाद, आर्थिक कानूनो एवं समाजिक

महिला कल्यानण कार्यक्रम– भारत मे महिलाओ कि स्थिति का अध्ययन करने एवं उसमें सुधार हेतु 1971 में एक कमेटी बना, जिसने 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुयत की। इस कमेटी के सुझाव को ध्याान में रखकर महिला कल्याजण के लिए अनेक कार्य किए गए है। समान वेतन अधिनियम लागू किया गया। इसके अनुसार पुरूषों एवे महिलाओ के कमान वेतन की व्य व्थात्तु की गयी।

- दहेज प्रथा को रोकन के लिए दहेज निरोधक अधिनियम 1961 पारित किया गया, जिसमें 1986 में संशोधन कर ओर कठोर बनाया गया।
- महिलाओं को विवाह–विच्छेद संबंधी सुविघा के लिए'' हिन्दी विवाह अधिनियम' 1955 पारित किया गया।
- मातृत्वग हित लाभ अधिनियम 1961 एंव 1976 बनाए गय।
- गरीब और जरूरत महिलाओं को ऋण सुविघा के लिए ''महिलाओं के राष्ट्रीय ऋण कोष'' की स्थाबपना की गई है।
- महिलाओं पर सामाजिक–आर्थिक रूप से हो रहे अन्याकय एंव अत्यारचारो से लडने के लिए ''जनवरी 1992 में ''एक राष्ट्रीलय महिला आयोग'' का गठन किया गया।
- 2अक्टूरबर 1993 सम्पूर्ण देश में 1.32 लाख ग्रामिण महिलाओं के माध्यकम से ''महिला समृद्धि योजना लागू की गई।
- 1958 से प्रौढ महिलाओं के व्यासवसायिक प्रशिक्षण एंव शिक्षा के लिए 'केन्द्री य समाज कल्या9ण बोर्ड' के द्वारा कार्यक्रम संचालित है।

स्वशक्ति– विश्व बैंक तथा अन्तउराष्ट्री य कृषि विकास कोष का संयुक्तघ रूप से सहयोग प्राप्तभ कर एंव आत्मब निर्भर बनाने के लिए 9 प्रान्तोप बिहार, छतिसगढ, गुजरात, हरियाणा, झारखण्डआ, कर्नाटक, उत्त रप्रदेश, उत्तरांचल और मघ्याप्रदेश में प्रसार करना प्रारम्भ किया

- ग्रामीण महिलाओं के कल्योण के लिए गांवो में ''महिला मण्डरल''का गठन किये गए।
- महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने के लिए 1987 से कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कृषि, पशुपालन, हथकरघा, हस्त शिल्प। कुटीर और रेशम उघोग, आदि में कार्यरत गरिबी रेखा के नीचे जीवन–व्यापन वाली महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्धत कराना है।
- 18 से 50 वर्ष तक की कमजोर महिलाओं के लिए विभिन्न व्यपवसायों के प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्थाो की गयी।

- विज्ञापन म महिलाओं के भद्दे और अश्लील प्रदर्शनो पर रोक लगाने के लिए ''महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण' अधिनियम, 1986' बनाकर दोषी व्यंक्तियों को 2000 रूपये एव 02 वर्ष तक का कारावास का दण्ड देने का प्रावधान किया गया।
- दीन–हीन विघवाओं, जेल से रिहा की गयी महिला कैदी, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं यौन शोषण से पीडित महिलाएं, आदि को सहायता पहुचाने के लिए ''स्वाधार योजना'' 2001–02 से केन्द्रीतय क्षेत्र योजना शरू की गयी।
- 1958 से जरूरत मन्द एंव अनाथ महिलाओं को कार्य दिलाना के लिए समाज कल्याण बोर्ड 'द्वारा किया जा रहा है।
- 2 अक्टूबर 1993 से ''महिला समध्दि योजना'' प्रारम्भ कर ग्रामिण महिलाओं के लिए डाकघर मे 300 रूपये महिला जमा करा सकता है। 01 वर्ष तक रूपये जमा रहने पर 75 रूपये सरकार अंशदान उपलब्ध कराती है।
- सन् 1975 में सारे विश्व में अंर्तराष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया। 8 मार्च 1992 को अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
- महिलाओं को उचित रोजगार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सन् 1986–87 में महिला विकास निगम (WDC) स्थांपित किया गया।

वयस्क महिलाओ को शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दृष्टि से सन् 1958 से केन्द्रीय समाज कल्यासण बोर्ड'' चलाया जा रहा है।

कानून– दहेज, पुर्नविवाह ,बच्चे का संरक्षण, विवाह विच्छेधद, व प्रभावी विवाह, निर्योग विवाह, विवाह की आयु, जीवन साथी का चुनाव, आदि अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण मे योगदान रहा है।

महिला सशक्तिकरण के विविध अधिकार – भारतीय संविधान दण्ड संहिता 1860 एंव दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून निम्नानुसार है–

- महिलाओं की नग्नव तस्वीर प्रदर्शित व क्रय–विक्रय करने पर आईपीसी की धारा 292 से 294 के तहत दो वर्ष तक कारावास एंव जुर्माना।
- आईपीसी की 313 से 318 के तहत गर्भपात कारित करने से संबंधित तथा धारा 312 में स्त्री की बिना सहमति गर्भपात करना अपराध है।
- आईपीसी की धारा 354 (क) (ख) (ग) (घ) आदि महिलाओं के अवंछित शारीरिक संबंध या सम्पीर्क की मांग, महिला को निर्वस्त्रग करने, महिला को घूर कर देखने, एंव किसी लडकी या महिला का पीछा करना अपराध है।
- 18 वर्ष से कम आयु की लडकी को बहला– फुसलाकर ले जाना, धारा 361 दण्डनीय अपराध।
- महिला अपहरण, भगाना या महिला को शादि के लिए विवश करना, धारा 366 एंव धारा 372 के तहत 18 वर्ष से कम महिला को वेश्यावृति के प्रयोजना से बेचना, धारा 372 के सहत दोषी माना जायेगा।
- आईपीसी की धारा 494 के तहत पहली पत्नीस के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है।

महिलाओं के हित के लिए समय–समय निम्नय प्रमुख कानून बनाये गये है।

- सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, संशोधित 1987
- बाल–विवाह प्रतिबन्धात्मिक अधिय–1929, संशोधित 2006

- विधवा पुनर्विवाह अधिरू–1856
- हिन्दु विववाह अधिनियम 1955
- हिन्दु दतक और भरण–पोषण अधिनियम,1956
- अनैतिक व्यावपार और संरक्षता अधिनियम,1956
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961,संशोधित, 1986, 2016
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- गर्भ का चिकित्सधकीय समापन अधिनियम,1971
- समान वेतन अधिनियम, 1976
- लिंग परिक्षण तकनीकी अधिनियम, 1994
- घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- किसी कार्यस्थाल पर महिलाओं का यौन शोषण संबंधि अधिनियम, 2013

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना– किसी भी प्रकार की प्रकार की हिंसा से पीडित, महिलाओं को पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन मापन करने के सभी रास्त बंद हो जाते है, एंव ऐसी कठिन परिस्थातपित होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यतकता होती है। यदि किसी भी पीडित महिला की आत्म निर्भरता को बढावा देने के लिए कौशल उन्नशयन प्रशिक्षण कार्यक्रम स जोड दिया पोषण कर सकती है। इस उददेश्य से ''मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना'' मध्यप्रदेश में सितम्बर 2013 से प्रारम्भ की गई है।

उद्देश्य–

1. आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता करना।
2. पीडित महिला कों पुनस्था पित करना।
3. महिलाओं को आत्म –निर्भर बनाना।
4. महिलाओं को स्वरोजगार के प्रेरित करना।
5. महिला का सामाजिक, आर्थिक एंव शैक्षणिक स्तर बढाना।
6. वितिग्रस्तम पीडित,असहाय,निराश्रित महिलाओं को आत्म'–निर्भर बनाते हुए समाज की मुख्यधारा से जोडना।

लक्ष्य – बलात्कारि से पीडित महिला या बालिका।

- ऐसिड विक्टिम
- दुर्व्यवहार से बचाई महिलाएं जो गरिबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती हो।
- परिव्यकता, तलाकशुदा महिलायें (BPL)
- जेल से रिहा महिलाए
- शासकीय एव अशासकीय आाश्रय ग्रह, बलिका ग्रह अनुक्षरण गह आदि में निवासरत विपात ग्रस्त बालिका एवं महिलाएं। अनक्षरण गृह आदि में निवासरत विपात ग्रस्तो बालिका एवं महिलाए।

प्रशिक्षण– फार्मेसी ब्यूटिशियन, होटल। मैनेजमेंट मर्सिग–शार्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स, प्रयोगशाला सहायक फिजियोथेरपी–आई.टी.आई पॉलिटेकिनक कोर्स।

निष्कष

महिला सशक्तिकरण से हमारा तत्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वत्रंत को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार आदि प्रदान करने से है। इसके साथ ग्रमीण महिलाओ की स्थिति में सुधार देखा गया है। महिलाओ की सहभागिता मे जनसंख्या कि दृष्टि से लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है और वे उत्पाादन तथा अर्थव्यवस्था को सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ–साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओ का योगदान एवं भमिका मुख्य है। अन्य योजनाओं, उद्योगो, प्रबन्धन एवं निर्णय लेने कि प्रकिया मे महिलाओ कि भागीदारी मुख्या है। कुल मिलाकर समाजिक राजीतिक आार्थिक सांस्कृतिक क्षत्रो में महिलाओ की भूमिका महत्वपूर्ण है।

सन्दभ

1. महिला सशक्तिकरण विशेषांक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थांन, हैदराबाद 2016।
2. www.mpwpwcdmis.gov.in
3. उन्नतति विचार, उन्नइति विकास शिक्षण संस्थाशन अहमदाबाद, 2000।
4. स्वातमी विवेकानंदरू मोदी डॉ.अनिता, पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेपव जयपूर राजस्था न 2009।
5. स्वा – सहायता समुह प्रक्रिया और प्रबंधन महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र. शासन भोपाल।
6. डॉ. माधवीलता दूबे समाजशास्त्रो, मध्यबप्रदेश हिन्दीए ग्रन्थि अकादमी भोपाल, 2018।
7. प्रो.एम.एल.गुप्ताद एवं डॉ.डी.डी शर्मा, भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्रो, साहित्यन भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2002।
8. प्रो.बनवारी लाल प्रजापति, समाजशास्त्रड उपकार प्रकाशन, आगरा 2014।
9. महिला सशक्तिकरण नये आयाम (प्रेरणा) www-premabharti-com.
10. पैलिनीथूराई,जी. इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रे शन, जनवरी मार्च 2001।
11. लवानिया, एम.एम.भारतियो महिलाओं का समाजशास्त्री, रिसर्च पब्लिशर्स, जयपुर, 2004।
12. गुप्ताा एण्डल शर्मा, समाजशास्त्र, साहित्य् भवन पब्लिकेशन आगरा, 2009।